

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1891 /2020

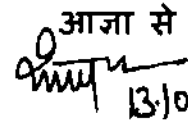
दिनांक : 13.10.2020

श्री सिद्धान्त सक्सेना (RJ1218), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 04.07.2020 का एक दिवस का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) ।
2. दिनांक 07.07.2020 से 09.07.2020 तक 03 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) ।

श्री सक्सेना की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल (नागौर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

13/10/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/05/2019/4651

दिनांक : 13.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 3006 दिनांक 02.09.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सिद्धान्त सक्सेना (RJ1218), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल (नागौर) ।


सहायक रजिस्ट्रार